न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

विविध प्रार्थना पत्र संख्या–01/2018

1. सीताराम पुत्र रामगोपाल टांक जाति टांक निवासी–ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर हाल निवासी–सी–40, चन्द्रबरदाई नगर, ब्यावर रोड, अजमेर तहसील व जिला–अजमेर। .....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर जिला–अजमेर। ..... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता, 1908 बाबत माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की द्वितीय अपील संख्या एल. आर/7680/2011/अजमेर उनवानी सीताराम बनाम भगवन्त एज्यूकेशन फाउण्डेशन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 21.01.2014 द्वारा अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त अजमेर की प्रथम अपील संख्या 16/2011 बउनवानी भगवन्त एज्यूकेशन फाउण्डेशन बनाम मंगलचन्द व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.11.2011 को निरस्त किये जाने से ग्राम चाचियावास के नामान्तरकरण संख्या 24 दिनांक 25.11.2011 द्वारा जमाबन्दी में अंकित खातेदारी की प्रविष्टि को निरस्त का पृष्ठाकंन कर पूर्व नामान्तरकरण संख्या 736 दिनांक 13.11.2010 से आई खातेदारी प्रविष्टि का जमाबन्दी में अंकन किये जाने।

उपस्थितः– 1. श्री ललितशरण शर्मा, गिरीश पारीक अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री शुभकरणसिंह चौधरी पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक – 28.02..2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी की ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर (राज0) स्थित आराजी साबिक ख0न0 1127/1 रकबा 0.96 हैक्टयर के साबिक खसरा नं0 1395 मिन रकबा 06 बीघा के साबिक खसरा नंबर 1142 मिन रकबा 06 बीघा न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार (नियमन) अजमेर के आदेश दिनांक 2.7.1969 से रामदेव पुत्र पांचू कौम माली सा0 देह के पक्ष में नियमन किये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 114 दर्ज किया जिसकी आई.एल.आर द्वारा जांच की गई किन्तु नामान्तरकरण तस्दीक नही होने पर रामदेव पुत्र पॉचू कौम माली के वारिसान मंगलचन्द वगैरह ने न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष तहसीलदार अजमेर के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 127 व 133 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 26.8. 2010 को आदेश पारित किया गया कि यदि न्यायालय अति0 तहसीलदार (नियमन) अजमेर के वाद संख्या 263/68 निर्णय दिनांक 02.7.1969 को किसी सक्षम न्यायालय में चूनौती नहीं दी गई है और निर्णय यथावत है तथा ग्राम चाचियावास के नामान्तकरण संख्या 114 को धारा 127 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा सक्षम न्यायालय में निस्तारण हेतु प्रेषित नहीं किया गया है तो बाद परीक्षण न्यायालय अति0 तहसीलदार (नियमन) अजमेर के वाद संख्या 263/68 निर्णय दिनांक 02.7.1969 की पालना सुनिश्चित करें। इस आदेश की पालना में

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

28/02/18
जिला कलक्टर
अजमेर

तहसीलदार, अजमेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 114 को दिनांक 16.9.2010 को तस्दीक कर राजस्व रेकार्ड में रामदेव पुत्र पॉचू के हक में खातेदारी का अंकन किया गया। चूंकि खातेदार की मृत्यु हो चुकी थी इसलिए कानूनी वारिसान मंगलचन्द, गणपत सिंह पुत्रान रामदेव व नाथी देवी, मैना देवी, बसन्ती देवी पुत्रीया रामदेव कौम माली के पक्ष में नियमानुसार नामान्तरकरण संख्या 735 दिनांक 30.09.2010 स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार–काश्तकार अंकित किया गया। वादग्रस्त भूमि के तत्समय के कार्यशील खसरा नं0 1395 मिन रकबा 06 बीघा के अभिलिखित खातेदार काश्तकार रामदेव पुत्र पॉचू कौम माली के वारिसान मंगलचन्द, गणपत सिंह पुत्रान रामदेव व नाथी देवी, मैना देवी बसन्ती देवी पुत्रीया रामदेव कौम माली ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.9.2010 को प्रार्थी सीताराम टॉक पुत्र रामगोपाल टॉक के पक्ष में विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किये जाने के पश्चात नियमानुसार विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 736 दिनांक 13.11.2010 को केता/प्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार काश्तकार अंकित किया गया। न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर के आदेश दिनांक 26.8.2010 के विरूद्ध भगवन्त एज्यूकेशन फाउण्डेशन द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय अयुक्त, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उक्त अपील को अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 04.11.2011 से स्वीकार कर जिला कलक्टर के आक्षेपित आदेश दिनांक 26.8.2010 को अपास्त कर तहसीलदार, अजमेर को विवादित भूमि के तत्समय कार्यशील खसरा नम्बर 1127/1 रकबा 0.96 हैक्टयर को पूर्ववत सिवायचक दर्ज कर 01 माह में पालना रिपोर्ट पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार अजमेर द्वारा जरिये नामान्तरकरण संख्या 24 दिनांक 25.11.2011 द्वारा वादग्रस्त भूमि सिवायक चक दर्ज कर दी गई। इस आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रस्तुत की गई जिसमें पारित आदेश दिनांक 21.01.2014 के द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर की प्रथम अपील संख्या 16/11 बउनवानी भगवन्त एज्यूकेशन फाउण्डेशन बनाम मंगलचन्द व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.11.2011 को निरस्त किये जाने से ग्राम चाचियावास के नामान्तरकरण संख्या 24 दिनांक 25.11.2011 द्वारा जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टि को निरस्त कर पूर्व नामान्तरकरण संख्या 736 दिनांक 13.11.2010 से आई खातेदारी प्रविष्टि का जमाबन्दी में अंकन किये जाने बाबत प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार अजमेर को नोटिस जारी किया गया। सम्बन्धित मूल पत्रावली रेकार्ड से तलब कर संलग्न पत्रावली की गई। तहसीलदार अजमेर से जवाब प्रस्तुत होने पर पत्रावली वास्ते सुनवाई नियत की गई। सुनवाई दौरान प्रकट तथ्यों के प्रकाश में तहसीलदार अजमेर के प्रश्नगत आदेश वर्ष 1969 से लेकर आदिनांक तक की जमाबन्दियों की प्रतिलिपि वर्तमान मौके की रिपोर्ट मय वर्तमान रेकार्ड के तलब किया जाकर उपस्थित उभय पक्ष को पुनः सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर (राज0) स्थित आराजी साबिक ख0न0 1127/1 रकबा 0.96 हैक्टयर के साबिक खसरा नं0 1395 मिन रकबा 06 बीघा के साबिक खसरा नंबर 1142 मिन रकबा 06 बीघा अतिरिक्त तहसीलदार (नियमन) अजमेर के आदेश दिनांक 2.7.1969 से रामदेव पुत्र पांचू कौम माली सा0 देह

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

के पक्ष में नियमन की गई। इसके आधार पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 114 दर्ज किया जिसकी आई.एल.आर द्वारा जांच की गई किन्तु नामान्तरकरण तस्दीक नही होने पर रामदेव के वारिसान मंगलचन्द वगैरह द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 127 व 133 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में दिनांक 26.8.2010 को आदेश पारित किया कि यदि न्यायालय अति0 तहसीलदार (नियमन) अजमेर वाद संख्या 263/68 निर्णय दिनांक 02.7.1969 को किसी सक्षम न्यायालय में चूनौती नहीं दी गई है और निर्णय यथावत है तथा ग्राम चाचियावास के नामान्तकरण संख्या 114 को धारा 127 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा सक्षम न्यायालय में निस्तारण हेतु प्रेषित नहीं किया गया है तो बाद परीक्षण न्यायालय अति0 तहसीलदार (नियमन) अजमेर के वाद संख्या 263/68 निर्णय दिनांक 02.7.1969 की पालना सुनिश्चित करें। इस आदेश की पालना में तहसीलदार, अजमेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 114 को दिनांक 16.9.2010 को तस्दीक कर राजस्व रेकार्ड में रामदेव पुत्र पॉचू का नाम दर्ज किया गया। चूंकि खातेदार की मृत्यु हो चुकी थी इसलिए वारिसान मंगलचन्द वगैरह का नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 735 दिनांक 30.09.2010 राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार–काश्तकार दर्ज किया गया। वादग्रस्त भूमि के तत्समय के कार्यशील खसरा नं0 1395 मिन रकबा 06 बीघा के अभिलिखित खातेदार काश्तकार रामदेव पुत्र पॉचू कौम माली के वारिसान मंगलचन्द वगैरह द्वारा जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 30.9.2010 को प्रार्थी सीताराम टॉक पुत्र रामगोपाल टॉक को विकय किये जाने से जरिये नामान्तकरण संख्या 736 दिनांक 13.11.2010 केता/प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार काश्तकार अंकित किया गया। तत्पश्चात न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर के आदेश दिनांक 26.8.2010 के विरूद्ध भगवन्त एज्यूकेशन फाउण्डेशन द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय अयुक्त, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील आदेश दिनांक 04.11.2011 से स्वीकार कर जिला कलक्टर के आक्षेपित आदेश दिनांक 26.8.2010 को अपास्त कर तहसीलदार, अजमेर को विवादित भूमि के तत्समय कार्यशील खसरा नम्बर 1127/1 रकबा 0.96 हैक्टयर को पूर्ववत सिवायचक दर्ज कर 01 माह में पालना रिपोर्ट पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिसकी पालना में तहसीलदार अजमेर द्वारा जरिये नामान्तरकरण संख्या 24 दिनांक 25.11.2011 द्वारा वादग्रस्त भूमि सिवायक चक दर्ज की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर के आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा द्वितीय अपील राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रस्तुत की गई जिसमें पारित आदेश दिनांक 21.01.2014 के द्वारा अपील स्वीकार कर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर के आदेश दिनांक 04.11.2011 को निरस्त करते हुए इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई की अपील में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. धारा 5 मियाद अधिनियम व आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी का निस्तारण अपील का गुणवगुण पर निर्णय करने से पूर्व किया जावे। आदेश की पालना में सुनवाई हेतु दर्ज अपील संख्या 07/2014 उभय पक्षकारान द्वारा नोट प्रेस किये जाने से आदेश दिनांक 11.11.2014 से खारिज की गई। इसलिए वर्तमान में किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही प्रश्नगत भूमि सम्बन्ध में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर वादग्रस्त भूमि के बाबत दर्ज नामान्तरकरण संख्या 114 के निस्तारण के कम में जिला कलक्टर अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 10/2010 बउनवानी मंगलचन्द वगैरह बनाम तहसीलदार (भू0अ0) अजमेर में पारित निर्णय दिनांक 26.08.2010 अन्तिमता प्राप्त है। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

28/02/18
जिला कलक्टर
अजमेर

आदेशानुसार स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 24 दिनांक 25.11.2011 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 21.01.2014 के द्वारा खारिज किये जाने से स्वतः ही निष्प्रभावी है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी द्वारा तहसीलदार अजमेर को प्रार्थी का नाम प्रश्नगत भूमि के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में बतौर खातेदार दर्ज किये जाने के निवेदन पर उनके द्वारा माननीय जिला कलक्टर अजमेर से आदेश करवाकर लाने पर ही रेकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने से यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार फरमाते हुए ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नं0 1127/1 रकबा 0.96 हैक्टयर का पूर्व नामान्तरकरण संख्या 736 दिनांक 13.11.2010 के अनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश न्यायहित प्रदान करावें।

जवाब में पैरोकार सरकार ने तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रस्तुत जवाब कथनों को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि ग्राम चाचियावास के साबिक खसरा नं0 1142 मिन रकबा 4–0–0 तथा 1142 मिन रकबा 2–0–0 बीघा कुल रकबा 06–00–00 बीघा भूमि किस्म बारानी 3 रामदेव पुत्र पॉचु कौम माली साकिन देह को प्रकरण संख्या 263/68 के निर्णय की पालना में पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 114 दिनांक 19.8.1969 को दर्ज किया तथा भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच दिनांक 25.8.1969 को की गई। इस नामान्तरकरण को तहसीलदार अजमेर द्वारा दिनांक 16.9.2010 को तस्दीक किया गया है। तहसीलदार अजमेर ने अपने निर्णय में साबिक खसरा नम्बर 1142 के नवीन खसरा नं0 1395 रकबा 06–00–00 बीघा भूमि का अंकन करने की स्वीकति दी गई। तत्पश्चात तहसीलदार द्वारा तस्दीक विरासती नामान्तरकरण संख्या 735 दिनांक 30.9.2010 द्वारा प्रश्नगत भूमि खसरा नं0 1395 मिन रकबा 6–00–00 बीघा भूमि के फौत खातेदार रामदेव वगै0 के स्थान पर वारिसान मंगलचन्द वगैरह के नाम पर दर्ज की गई। मंगलचन्द वगैरह ने प्रश्नगत भूमि जरिये पंजीकृत विकय पत्र प्रार्थी को बेचान किये जान पर नामान्तरकरण संख्या 736 दिनांक 13.11.2010 द्वारा भूमि प्रार्थी सीताराम टांक के नाम दर्ज की गई है। माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर द्वारा अपील संख्या 16/2011 में पारित निर्णय दिनाक 4.11.2011 की पालना में विवादित भूमि 1395 मिन रकबा 06–00–00 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नं0 1127/1 रकबा 0.96 हैक्टयर जरिये नामान्तरकरण संख्या 24 दिनांक 25.11.2011 सिवाय चक दर्ज की गई जो ग्राम चाचियावास के वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2071–74 के खाता संख्या 01 में खसरा नं0 1127 रकबा 1.10 हैक्ट0 भूमि सिवाय चक दर्ज है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में उपरोक्तानुसार अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के द्वारा अपील संख्या 16/2011 उनवानी भगवन्त एज्यूकेशन फाउन्डेशन बनाम मंगलचन्द वगैरह में पारित आदेश दिनांक 4.11.2011 के विरूद्ध प्रार्थी ने द्वितीय अपील संख्या एल.आर/7680/2011/ अजमेर उनवानी सीताराम बनाम भगवन्त एज्यूकेशन फाउन्डेशन व अन्य माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 21.1.2014 के द्वारा अपील स्वीकार कर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के आदेश दिनांक 4.11. 2011 को निरस्त करते हुए इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि प्रथम अपील मं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 96 सी.पी.सी धारा 5 मियाद अधिनियम व आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. का अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व उक्त प्रार्थना

जिला कलक्टर
अजमेर

पत्रों का निस्तारण किया जावें। जिसके विरूद्ध किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही आज दिनांक तक विचाराधीन नहीं है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में उपरोक्तानुसार माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 21.1.2014 के अनुसार मान0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर ने पुनः एल. आर.एक्ट अपील संख्या 7/2014 दर्ज कर सुनवाई प्रारम्भ की जिस पर दिनांक 21. 10.2014 को अपील के उभय पक्षकारान के द्वारा अपील नहीं चलाने व नोट प्रेस में निर्णित करने हेतु निवेदन किये जाने पर दिनांक 11.11.2014 को न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर ने अपील खारिज फरमा दी। जिसके विरूद्ध आज दिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। पटवारी हल्का चाचियावास से प्राप्त वर्तमान मौका रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि मुख्य सडक से लगती हुई है जिस पर पक्की चार दीवारी व खुला गेट बना हुआ है तथा उतर दिशा की ओर दो अर्ध निर्मित दुकाने 25 गुणा 30 की बनी हुई है। उक्त निर्माण प्रार्थी द्वारा करवाया जाना बताया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रश्नगत भूमि बाबत पारित निर्णयों/दस्तावेजात का समुचित विवेचन कर यथोचित आदेश प्रदान करावें।

हमने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस एवं प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के कथनो का ध्यान पूर्वक मनन किया एवं रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी बाबत मान0 राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने द्वितीय अपील संख्या एल.आर./7680/2011/अजमेर उनवानी सीताराम बनाम भगवन्त एज्यूकेशन फाउन्डेशन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 21.01.2014 के द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर के द्वारा प्रथम अपील संख्या 16/2011 बउनवानी भगवन्त एज्यूकेशन फाउण्डेशन बनाम मंगलचंद व अन्य में पारित आदेश दिनांक 4.11.2011 को निरस्त कर दिया, जिससे नामान्तरकरण संख्या 24 दिनांक 25. 11.2011 स्वतः निरस्त हो गया है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 21.1.2014 के अनुसार माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर ने पुनः एल.आर.एक्ट अपील संख्या 7/2014 दर्ज कर सुनवाई प्रारम्भ की जिस पर दिनांक 21.10.2014 को अपील के उभय पक्षकारान के द्वारा अपील नहीं चलाने एवं नोट प्रेस में निर्णित करने हेतु निवेदन किये जाने पर दिनांक 11.11.2014 को न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर ने अपील खारिज फरमा दी। ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 26.8.2010 बहाल है तथा उसके पश्चात खातेदार की विरासत एवं विक्रय पत्र का नामान्तकरण भी कानूनन प्रभावी हो गये है। तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रविष्टि पुर्नस्थापित नहीं किये जाने के बाबत कोई भी यथोचित कारण स्पष्ट नहीं किया है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 2015 पेज नं 441 व आर.बी.जे. 2005 पेज नं0 120 से 128 का अवलोकन किया गया, जो कि प्रार्थी के मामले का समर्थन करती है। ऐसी स्थिति में ग्राम चाचियावास के नामान्तकरण संख्या 24 दिनांक 25.11.2011 स्वतः प्रभावहीन हो जाने से जमाबन्दी में अंकित उक्त प्रविष्टी को कलमजन (निरस्त) कर जमाबन्दी में अंकन करना उक्त न्यायिक दृष्टान्त के परिपेक्ष्य में तथा तकनीकी प्रकिया के अनुरूप उचित प्रतित होता है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 व धारा 151 सीपीसी के तहत यदि आदेश न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर दिनांक 21.01.14 /अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर दिनांक 11.11.14 द्वारा पारित

21/01/16
जिला कलक्टर
अजमेर

निर्णय किसी विधिक आदेश से निरस्त नहीं किया गया हो तो तहसीलदार द्वारा भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के कम में परिक्षण कर उक्त न्यायिक आदेशो की नियमानुसार प्रविष्टि राजस्व अभिलेख में दर्ज करने की कार्यवाही की जावें।

साथ ही राजकीय हित निहित होने एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के आदेश दिनांक 04.11.2011 राजहित में होने व उक्त आदेश न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 21.01.2014 व अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के पुनः पारित आदेश दिनांक 11.11.2014 से खारिज हो जाने के कारण धारा 151 सीपीसी के तहत आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार अजमेर उक्त आवंटन/नियमन/नामान्तरकरण की समग्र जॉच कर आवंटन/नियमन/नामान्तरकरण में अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार आवंटन/नियमन/नामान्तरकरण निरस्त करने की कार्यवाही, राजहित में करें। न्यायालय संभागीय आयुक्त/राजस्व मण्डल के आदेशो की अपील/पुर्नविलोकन याचिका के पर्याप्त आधार होने पर राजहित में अपील/पुर्नविलोकन की कार्यवाही की जावें।

आदेश आज दिनांक 28.02..2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

28/02/18

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर
अजमेर